

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलेक्टर, हमीरगढ जिला भीलवाडा (राज.)

:: मूल वाद मे अन्तिम डिक्री ::  
{आदेश 20 नियम 6, 7 जा0दी0}

पीठासीन अधिकारी:- नेहा छीपा (आर.ए.एस.)  
प्रकरण संख्या 20/2018

उनवान

1 देवराज पिता बदरा जाति रेगर उम्र वयस्क निवासी तख्तापुरा तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा (राज.)।

— वादी

बनाम

1 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हमीरगढ जिला भीलवाडा (राज.)

— प्रतिवादी

### वादपत्र बाबत खातेदारी अधिकारों की घोषणा, इंद्राज दुरुस्ति

उपस्थित :-

श्री कैलाश चन्द्र आचार्य—अधिवक्ता वादी

राज्य पक्ष की ओर से तहसीलदार हमीरगढ

दिनांक- 07-01-2025

वाद पत्र में निहित तथ्यों को प्रमाणित करने का दायित्व वादी पर होता है, परंतु वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों एवं तर्कों के आधार पर वह अपने दावे को प्रमाणित करने में पूर्णतया असफल रहा है, ऐसी सूरत में वाद पोषणीय नहीं माना जाएगा। अतः जब वादी अपने दावे को विधिसम्मत रूप से सिद्ध नहीं कर पाया है, तो न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी के पक्ष में वाद अस्वीकृत किए जाने की स्थिति उत्पन्न होती है। न्यायिक सिद्धांतों के अनुरूप, वादी के तर्क एवं साक्ष्य अपर्याप्त एवं अविश्वसनीय पाए गये हैं, वाद को अस्वीकार करने का आदेश प्रदान किये जाते हैं। खर्चा फरिक्केन अपना-अपना वहन करे।

आज यह अन्तिम डिक्री दिनांक 07-01-2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी गयी।

(नेहा छीपा)  
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन  
सहायक कलेक्टर, हमीरगढ  
जिला भीलवाडा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, हमीरगढ जिला  
भीलवाडा (राज.)

पीठासीन अधिकारी:- नेहा छीपा (आर.ए.एस.)  
प्रकरण संख्या 20/2018

उनवान

1 देवराज पिता बदरा जाति रेगर उम्र वयस्क निवासी तखतपुरा तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा राज.

--- वादी

बनाम

1 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हमीरगढ जिला भीलवाडा (राज.)

---प्रतिवादी

वादपत्र बाबत खातेदारी अधिकारों की घोषणा, इन्द्राज दुरुस्ति

उपस्थित :-

श्री कैलाश चन्द्र आचार्य—अधिवक्ता वादी  
राज्य पक्ष की ओर से तहसीलदार हमीरगढ

निर्णय

दिनांक - 07-01-2025

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी ने एक नियमित वाद पत्र बाबत खातेदारी अधिकारों की घोषणा, इन्द्राज दुरुस्ति का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद तखतपुरा, पटवार हल्का तखतपुरा, तहसील हमीरगढ, जिला भीलवाडा स्थित कृषि भूमि, आराजी संख्या 1109, रकबा 04 बीघा 01 बिस्वा, जो भज्जा पुत्र श्री कालू रेगर के नाम दर्ज थी, उक्त भूमि की स्वामिनी उनकी पत्नी श्रीमती सोहनी, जिनके कोई जायन्दा संतान अथवा गोदपुत्र शेष नहीं रहे, ने अपनी सेवा सुश्रुषा से प्रसन्न होकर, दिनांक 10 मार्च 2009 को निष्पादित वसीयत द्वारा वादी के पक्ष में उक्त भूमि का हस्तांतरण कर दिया, जिससे वादी उक्त भूमि का विधिपूर्ण स्वामी बन गया और राजस्व रिकॉर्ड में उक्त भूमि अपने नाम अंकित कराने तथा खातेदार-काश्तकार घोषित किए जाने का विधिक अधिकार रखता है तथापि, जब वादी ने दिनांक 02 अप्रैल 2018 को प्रतिवादी के समक्ष उक्त भूमि को अपने नाम दर्ज कराने हेतु निवेदन किया, तो प्रतिवादी द्वारा स्पष्ट रूप से मना कर दिया गया, जिससे वादी को यह वाद दायर करने के लिए विवश होना पड़ा है। इसके अतिरिक्त, वादी द्वारा प्रतिवादी के विरुद्ध दिनांक 13 फरवरी 2017 को आवश्यक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था, तथा चूंकि इस वाद में राज्य सरकार भी पक्षकार है, अतः वाद प्रस्तुत करने से पूर्व धारा 80 दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन दो माह पूर्व नोटिस देने की औपचारिकता आवश्यक थी, किंतु वादी द्वारा उक्त आवेदन पत्र प्रस्तुत किए जाने के उपरांत 60 दिवस की अवधि व्यतीत हो चुकी है, जिससे वादपत्र प्रस्तुत करने में विधिक अवरोध शेष नहीं रहा और वादी का यह वाद विधिसम्मत, न्यायोचित होने के साथ-साथ वादी द्वारा अपने स्वामित्व एवं खातेदारी अधिकारों की विधिक पुष्टि के लिए अनिवार्य है।

अतः न्यायालय से अनुरोध है कि वादी आराजी संख्या 1109, रकबा 04 बीघा 01 बिस्वा, स्थित सरहद तखतपुरा, पटवार हल्का तखतपुरा, तहसील हमीरगढ, जिला भीलवाडा का एकमात्र मालिक है, जिसका स्वामित्व उसे श्रीमती सोहनी देवी पत्नी श्री भज्जा रेगर द्वारा निष्पादित वसीयतनामा दिनांक 10 मार्च 2009 के आधार पर प्राप्त हुआ है। अतः वादी का यह कानूनी अधिकार बनता है कि उक्त भूमि को राजस्व रिकॉर्ड में उसके नाम दर्ज किया जाए और उसे खातेदार काश्तकार घोषित

उपखण्ड अधिकारी  
हमीरगढ

किया जाए। वादी के पक्ष में प्रतिवादी के विरुद्ध घोषणात्मक डिक्री पारित कर उक्त भूमि को वादी के नाम दर्ज करने का आदेश प्रदान किया जाए।

वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र को दिनांक 14-06-2018 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिये सम्मन प्रतिवादी को तलब किया गया। विपक्षी राज्य पक्ष तहसीलदार द्वारा खण्डन में जवाब प्रस्तुत कर अदालत को यह बताया है कि वादी द्वारा अपने स्वामित्व का दावा जिस वसीयत दिनांक 10 मार्च 2009 पर आधारित किया गया है, वह विधिसम्मत रूप से प्रमाणित नहीं है, क्योंकि यह वसीयत केवल साधारण कागज पर तैयार की गई थी और विधिक रूप से पंजीकृत नहीं थी, जिससे इसकी प्रमाणिकता संदेहास्पद हो जाती है साथ ही, वादी यह स्वयं सिद्ध करें कि वसीयतकर्ता सोहनी के स्वामित्व में जो भूमि थी, वह उनकी स्वयं की अर्जित संपत्ति थी, न कि पैतृक अथवा संयुक्त परिवार की संपत्ति, जिसके कारण सोहनी को उक्त भूमि को वसीयत करने का पूर्ण वैधानिक अधिकार प्राप्त हुआ था। इन तथ्यों के आलोक में वादी का स्वामित्व दावा असत्यापित एवं विधिसम्मत आधारों से रहित होने के कारण स्वीकार्य नहीं है। वाद को खारिज किया जाना फरमावें।

प्रस्तुत प्रकरण में नियत शहादत के चरण पर वादी द्वारा स्वयं का शपथ-पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसे मिसल में शामिल कर लाल स्याही से पी.डब्ल्यू-01 के रूप में अंकित किया गया, साथ ही उनके बयान भी दर्ज किए गए। वादपत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों, यथा राजस्व आधार अभिलेख, वसीयतकर्ता सोहनी देवी एवं उनके पति भज्जा रेगर के मृत्यु प्रमाण-पत्र, चालू जमाबंदी (संवत् 2072-75), तथा दिनांक 10.03.2009 की अपंजीकृत वसीयत को क्रमशः प्रदर्श-1 से प्रदर्श-7 तक चिन्हित किया गया। यह प्रक्रिया विधिवत रूप से सबूतों को प्रस्तुत करने एवं गवाह के बयानों को दर्ज करने हेतु की गई।

प्रकरण को न्यायिक प्रक्रिया मुताबिक प्रक्रम बहस अन्तिम हेतु नियत किया गया। नियत चरण में वादी के नियुक्त विद्वान अभिभाषक श्री कैलाश चन्द्र आचार्य ने बहस में अपने अभिवचनों से वादपत्र की समस्त कलमों को दोहराते हुए, वादपत्र को मंजूर किए जाने का अनुरोध किया।

अदालत द्वारा प्रस्तुत वादपत्र, साक्ष्यों एवं दस्तावेजों का परीक्षण करने के पश्चात यह तथ्य उभरकर सामने आता है कि वादी द्वारा अपने स्वामित्व का दावा जिस वसीयत दिनांक 10 मार्च 2009 पर आधारित किया गया है, वह विधिसम्मत रूप से प्रमाणित नहीं हो सकी, क्योंकि यह केवल साधारण कागज पर तैयार की गई थी और विधिक रूप से पंजीकृत नहीं थी, जिससे इसकी सत्यता एवं वैधता संदेह के घेरे में आ जाती है। भारतीय उत्तराधिकार कानून एवं सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार, वसीयत की प्रमाणिकता स्थापित करने के लिए यह आवश्यक है कि या तो वह विधिक रूप से पंजीकृत हो या पर्याप्त साक्ष्य द्वारा यह प्रमाणित किया जाए कि वसीयतकर्ता ने इसे अपनी स्वतंत्र इच्छा एवं साक्षियों की उपस्थिति में निष्पादित किया था, किंतु वादी इस आवश्यक तत्व को प्रमाणित करने में असफल रहा। इसके अतिरिक्त, वादी यह भी सिद्ध नहीं कर सका कि वसीयत के अधीन दी गई भूमि वसीयतकर्ता सोहनी की स्वयं की अर्जित संपत्ति थी, जबकि यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है, क्योंकि यदि यह भूमि पैतृक अथवा संयुक्त परिवार की संपत्ति थी, तो सोहनी को इसे वसीयत करने का वैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं था। अतः जब वसीयतकर्ता के अधिकार एवं वसीयत की प्रामाणिकता ही संदिग्ध एवं अप्रमाणित रह जाती है, तो वादी का इस भूमि पर स्वामित्व एवं नामांतरण का दावा विधिक दृष्टि से अस्थिर एवं अवैध माना जाता है। फलस्वरूप, वादी का वाद विधिक आधारों से रहित होने के कारण अस्वीकार किया जाता है तथा वादी इस भूमि पर किसी भी प्रकार के स्वामित्व, कब्जे या अन्य विधिक अधिकारों का अधिकारी नहीं ठहरता है।

जसवंत अधिकारी  
हकीमत (एन.)

∴ आदेश ∴

वाद पत्र में निहित तथ्यों को प्रमाणित करने का दायित्व वादी पर होता है, परंतु वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों एवं तर्कों के आधार पर वह अपने दावे को प्रमाणित करने में पूर्णतया असफल रहा है, ऐसी सूरत में वाद पोषणीय नहीं माना जाएगा। अतः जब वादी अपने दावे को विधिसम्मत रूप से सिद्ध नहीं कर पाया है, तो न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी के पक्ष में वाद अस्वीकृत किए जाने की स्थिति उत्पन्न होती है। न्यायिक सिद्धांतों के अनुरूप, वादी के तर्क एवं साक्ष्य अपर्याप्त एवं अविश्वसनीय पाए गये हैं, वाद को अस्वीकार करने का आदेश प्रदान किये जाते हैं।

खर्चा उभयपक्ष अपना-अपना वहन करे। पत्रावली दर्ज रजिस्टर से कम की जाकर फ़ैसल शुमार हो। निर्णय आज दिनांक 07-01-2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



( ~~मैजि~~ छीपा )

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन  
सहायक कलक्टर हमीरगढ

उपखण्ड अधिकारी  
जिला भीलवाडा

हकीम